न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन न0 **231 / 2022**

प्रार्थीगण :–

1. कैलाशसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बाडमेर।
2. सुजानसिंह पुत्र नारखानसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार पिंथल तहसील बाडमेर
3. कवराजसिंह पुत्र हुकमसिंह राजपूत निवासी अकली तह. शिव

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. सुरेश कुमार पुत्र उत्तमचन्द जाति ओसवाल निवासी महावीर कॉलोनी बालोतरा
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र मलुकचन्द जाति ओसवाल निवासी महवीर चौक जसोल तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।
3. ललिता गेमावत पत्नी घीसूलाल गेमावत जाति जैन निवासी धनेन्द्र पदमावती नगर पाली
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131, राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम वास्ते तरमीम दुरस्ती बाबत्

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) न्यायालय * बालोतरा *

अधिवक्तागण :– **1.श्री अचलाराम थोरी प्रार्थीगण वकील**
2.श्री भंवरलाल विश्नोई विप्रार्थीगण वकील

'आदेश'

दिनांक :– 07.11.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत सरहद मौजा साजियाली रूपजी कंठवाडा पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह की राजस्व सीमा में मूल खसरा संख्या 1 अवस्थित रहा, तदोपरानत उक्त मूल खसरा संख्या 01 के नये तरमीमी खसरा सं. 108 / 1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा संख्या 150 / 1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा संख्या 151 / 1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 109 / 1 रकबा 8.2556 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213 / 1 रकबा 2.4288 हैक्टेयर व खसरा संख्या 107 / 1 रकबा 17.1667 हैक्टेयर बने। उपरोक्त खसरान में प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व रहवासीय घर ठांव रहे व है । मूल खसरा संख्या 01 में से तरमीमी बने खसरान की जमाबंदी खतौनियां जुदा जुदा की गई उस वक्त नक्शा लट्ठा ट्रेस में मौके कब्जा के विपरित तरमीम दर्ज कर दी गई जिससे प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी। मौके पर प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमियों मे बरसाती रिहायसीय ढाणी, पानी के टांके इत्यादि बने हुए है तथा खेत की सुरक्षार्थ तारबन्दी की हुई है । जो मौके के अनुसार तरमीम नहीं होने से एक दूसरे के विपरीत कब्जे में रह गये है ।नक्शा लट्ठा ट्रेस में माफिक कब्जा काश्त नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार तरमीम नक्शा कर सही तरमीम अंकित करवाने निवेदन किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.12 18:54:33 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मिजवाये गये। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने जरीये अधिवक्ता उपस्थित। दिनांक 19.7.2022 को विप्रार्थीगण की और से जबाब पेश कर माकिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त कर सही तरमीम अंकित करने में सहमती जाहिर कर रेकर्ड दुरूस्त करवाने में अनापति का पेश किया।

जिस पर वकील प्रार्थी ने दिनांक 14.6.2022 प्रार्थना पत्र हेतु मौके वास्तविक रिपोर्ट तलब कर नक्शा ट्रेस में दर्ज वर्तमान तरमीम को दुरूस्त करने का पेश करने पर तहसीलदार पचपदरा को तहरीर जारी की गयी जिसकी पालना में तहसीलदार पचपदरा से क्रमांक/भू.अ/2021/2022/1975 दिनांक 10.10.22 को मौका रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया की उक्त आराजी मे संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार पूर्व में तरमीम की हुई है, वर्तमान लटठा ट्रेस में दर्शाई अनुसार प्रार्थीगण मौके पर काबिज नहीं पाये गए मौके पर उपस्थित मौत बिरानो के पुछने पर उपस्थित मौत बिरानो ने प्रार्थीगण का कब्जा परिशिष्ट 'ब' अनुसार (प्रस्तावित संशोधित तरमीम) सही होना बताया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की बहस सुनी गई व तहसीलदार पचपदरा की मौका रिपोर्ट पत्रावली एवम दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया बाद अवलोकन अध्ययन समूची स्थिति पर विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आया है कि वर्तमान लटठा ट्रेस में दर्ज तरमीम अशुद्व तथा कब्जा के विपरित होना साबित है, जिसे अन्तर्गत धारा 131 आर.एल.आर के दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बाद गौर प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद साजियाली रूपजी कंटवाडा पटवार हल्का साजियाली पदमसिंह की राजस्व सीमा में मूल खसरा संख्या 1 वर्तमान मे नये तरमीमी खसरा सं. 108/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा संख्या 150/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर, खसरा संख्या 151/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा संख्या 109/1 रकबा 8.2556 हैक्टेयर, खसरा संख्या 213/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा संख्या 107/1 रकबा 17.1687 हैक्टेयर की वर्तमान लटठा ट्रेस नक्शा में दर्ज तरमीम को हटा कर तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार लटठा ट्रेस नक्शा मे तरमीम शुद्वि करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिए जाते है। परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2022.12.12 18:54:33 IST
Reason: SelfAttested

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 7.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बालोतरा